फैक्स / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्र संख्या:पीआर-30-24/2013 (8526) दिनांक:सितम्बर 7 ,2013

पुलिस अधीक्षक रेलवे,
लखनऊ/आगरा/मुरादाबाद/इलाहाबाद।

हावडा-अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़-छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-48/2011 में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या-9543(एमबी)/2011 पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा हेतु रेलवे विभाग एवं राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में दिनांक- 27-08-2013 को सुनवाई के दौरान रेलवे विभाग एवं राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक कार्ययोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था।

2- उपरोक्त रिट याचिका के सम्बन्ध में श्री रिशाद मुर्तजा, शासकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक-02-09-2013 के माध्यम से अन्य निर्देशों के अतिरिक्त पत्र के बिन्दु संख्या-16 में मुझे व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करते हुये अपेक्षा की गयी है कि प्रायोगिक तौर पर गोमती एक्सप्रेस में यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की भयमुक्त/शान्तिपूर्ण यात्रा को सुनिश्चित किया जाये।

3- अत: ट्रेन नं0 12419/12420 गोमती एक्सप्रेस जो रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ से नई दिल्ली एवं रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से चारबाग लखनऊ तक चलती है, में यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों के भयमुक्त/शान्तिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है।

(1) गोमती एक्सप्रेस अप एवं डाउन ट्रेन में 01 उ0नि0 एवं 10 आरक्षी की एक विशेष एस्कोर्ट टीम नियुक्त की जायें।

(2) पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ से रेलवे स्टेशन गाजियाबाद तक 01 उ0नि0 के नेतृत्व में 10 आरक्षी की सशस्त्र एस्कोर्ट डियूटी लगायेंगे तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे, आगरा उसी दिन रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ तक 01 उ0नि0 के नेतृत्व में 10 आरक्षी की सशस्त्र एस्कोर्ट डियूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) लखनऊ से लगायी जाने वाली एस्कोर्ट टीम गोमती एक्सप्रेस अप ट्रेन को एस्कोर्ट करती हुयी रेलवे स्टेशन गाजियाबाद तक जायेगी एवं गाजियाबाद स्टेशन पर रूकने के पश्चात अगले दिन वापसी में उसी ट्रेन को गाजियाबाद से एस्कोर्ट करते हुए लखनऊ तक आयेगी। इसी प्रकार आगरा से लगायी जाने वाली एस्कोर्ट टीम ट्रेन गोमती एक्सप्रेस डाउन को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से एस्कोर्ट करते हुये रेलवे स्टेशन चारबाग तक आयेगी, तथा रात्रि विश्राम के उपरान्त अगले दिन उसी ट्रेन को एस्कोर्ट करते हुए गाजियाबाद तक जायेगी यह व्यवस्था दिनांक-10-09-2013 (मंगलवार) से आरम्भ की जायेगी।

(4) एस्क़ोर्ट टीम में चुस्त-दुरूस्त एवं अनुशासित अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा। उ0नि0 रिवाल्वर/पिस्टल के साथ तथा आरक्षियों की डियूटी इन्सास राइफल के साथ लगाई जायेगी। एस्कोर्ट कर्मचारीगण निर्धारित जीआरपी की वर्दी तथा कपडे़ की नेम प्लेट एवं जीआरपी की लाल पट्‌टी अवश्य धारित करेगें।

(5) एस्कोर्ट कर्मचारियों के निर्धारित वर्दी धारण करने, कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण पर सतर्क निगाह रखने एवं अनुशासन बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व एस्कोर्ट प्रभारी उ0नि0 का होगा। एस्कोर्ट टीम ट्रेन में निरन्तर गश्त करते हुये अपराधिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखेगी। महिला ट्रेन यात्रियों एवं महिला बोगियों की विशेष रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) एस्कोर्ट प्रभारी उ0नि0 समस्त कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नं0 की सूची तथा रास्ते में पड़ने वाले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारियों के नाम/नम्बर की सूची अनिवार्य रूप से अपने पास रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सम्पर्क कर कार्यवाही की जा सकं।

(7) ट्रेन के रास्तें में पड़ने वाले जीआरपी थाना/चौकियों के प्रभारी ट्रेन के आगमन के पूर्व ही स्वयं पर्याप्त पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहेंगे तथा ट्रेन के आगमन पर असामाजिक/आपराधिक तत्वों पर सतर्क निगाह रखते हुये सघन चैकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस के अतिरिक्त ट्रेन एस्कोर्ट प्रभारी से मिलकर कुशलता की जानकारी भी लेंगे। सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी कुशलता की रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय कन्ट्रोल रूम को देंगे।

(8) ट्रेन एस्कोर्ट टीम में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के भोजन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था रेलवे स्टेशन गाजियाबाद पर पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद द्वारा एवं लखनऊ में पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

7/9/13

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि-

1- मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ/मुरादाबाद एवं उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद/आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।5

5- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6- प्रभारी कन्ट्रोलरूम, जीआरपी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे प्रतिदिन गोमती एक्सप्रेस अप/डाउन की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ठहराव वाले स्टेशन के थाना/चौकी प्रभारी से कुशलता की जानकारी प्राप्त कर एक व्यवस्थित रिकार्ड रखेंगे।